

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/795- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शों में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव हमीरपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव हमीरपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राईमरी विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 428/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तर :** बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात् गांव हमीरपुर की आयत संख्या 2 को उत्तरी सीमा पर स्थित बिन्दु जहां गांव खैन्तावास की सीमा गांव हमीरपुर की सीमा से मिलती है, उसके बाद गांव हमीरपुर की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जो गांव वजीरपुर की आयत संख्या 1 का उत्तर-पश्चिमी कोना है, उसके बाद गांव वजीरपुर की आयत संख्या 1 की उत्तरी सीमा , आयत संख्या 2 की उत्तर-पश्चिमी सीमा और आयत संख्या 2 की उत्तरी सीमा के साथ-3 पूर्व की ओर बिन्दु 'ग' तक, जहां यह 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 10 डी0 पी0-81/8039 दिनांक 21 मई 1981 द्वारा पहले से ही घोषित गुड़गांव नियन्त्रित क्षेत्र भाग III के साथ मिलती है, उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र सीमा के साथ-साथ दक्षिण पूर्व की ओर बिन्दु 'घ' तक जहां यह गांव वजीरपुर की आयत संख्या 5 की दक्षिण-पूर्वी सीमा से मिलती है।
- पूर्व:** उसके बाद आयत संख्या 5 तथा 9 की सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर, उसके बाद आयत संख्या 9 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओ, उसके बाद आयत संख्या 13 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर, उसके बाद गांव वजीरपुर की आयत संख्या 13 और 12 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक जहां यह गांव हमीरपुर की पूर्वी सीमा से मिलती है। उसके बाद गांव हमीरपुर की दक्षिण-पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम को और बिन्दु 'ड.' तक जहां यह गांव धनावास की उत्तर-पूर्वी सीमा से मिलती है।
- दक्षिण:** उसके बाद गांव हमीरपुर की दक्षिणी सीमा के साथ-2 उत्तर पश्चिम की ओर बिन्दु 'च' तक, जहां यह गांव खैन्तावास की पूर्वी सीमा से मिलती है।
- पश्चिम:** उसके बाद गांव हमीरपुर की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर-पश्चिम की ओर बिन्दु 'क' तक, अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

138

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/795- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Hamirpur, tehsil and district Gurgaon as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Hamirpur, tehsil and district Gurgaon to be read with the Drg. No. DTP(G) 428/93, dated 25th May, 1993.

North : Starting from point 'A' i.e. the point located on northern boundary of Rect. No. 2 of village Hamirpur where the boundary of village Khaintawas meets with the boundary of village, Hamirpur, thence towards east along the northern boundary of village Hamirpur upto point 'B' which is the north-west corner of Rect. No. 1 of village Wazirpur, thence towards east along the northern boundary of Rect No.1, north-west boundary of Rect No.2 and northern boundary of Rect No. 3 of village Wazirpur upto point 'C' where it coincides with the Gurgaon Controlled Area Part-III already declared,- vide Haryana Govt. Gazette Notifiacation No. 10DP-81/8039 dated 21st May, 1981 published on 16th June, 1981, thence towards south-east along the said controlled area boundary upto point 'D' where it meets with the south-east boundary of Rect. No. 5 of village Wazirpur.

East : Thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 5 and 9, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 9, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 13, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 13 & 12 of village Wazirpur upto the point where it coincides with the eastern boundary of village Hamirpur. Thence towards south-west along the south-eastern boundary of village Hamirpur upto point 'E' where it coincides with the north-eastern boundary of village Dhanawas.

South: Thence towards north-west, along the southern boundary of village Hamirpur upto point 'F' where it meets with the eastern boundary of village Khaintawas.

West: Thence towards north-west, along the western boundary of village Hamirpur upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.